CED2324A0034

Financial Year

Department

NIB Ref No

NIB Publish Date

Uploaded Bid

SPPP MESSAGE

Bid document uploaded on NIB code **CED2324A0034** and UBN is: **CED2324SSOB00033**

OK

Go to NIB List | Close

Sh Manish Mathur Joint Secretary, Finance (G & T) Department
Finance (SPFC) Department, Govt. Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302 005
Contact No.: (Technical Help) 0141-2743455
Email:cao[dot]spfc[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
Version: 3.41.06.23 Dated: 30 June 2023

Scanned with OKEN Scanner

NIB Code!- CED2324A0034
UBN!- CED2324SSOB00033

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम BHIM

राजस्थान–सरकार

कार्यालय–अधीक्षक, नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

पता – महिला पुलिस थाने के पास, पवनपुरी, बीकानेर

0151–2240318 E Mail- nariniketanbkn@gmail.com

क्रमाकः– 620 दिनांकः– 3/8/23

NIB Code:- UBN:-

खुली निविदा संख्या –1 वर्ष 2023–2024

निविदा–सूचना

श्रीमान निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ15()/सा.सु./म.क./सान्याअवि/23–24/36315 दिनांक–21.07.2023 पालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभागीय निर्देशानुसार संचालित संस्था नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर हेतु रसोईया, स्वीपर, अटेण्डेण्ट, आया, सुरक्षा गार्ड, काउन्सलर का कार्य जॉब बैसिस सेवा एवं मनोवैज्ञानिक व डॉक्टर विजिट बेस पर करवाने हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने वाली नियमानुसार पंजिकृत योग्य संस्थाओं /बोलीदाता/सवेंदक के माध्यम से मोहरबंद खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर कार्य करवाये जाने हेतु 28.02.2024 तक या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	जॉब बेस/विजिट बेस पर कार्य का नाम	कार्य/सेवा का संक्षिप्त विवरण	कार्मिकों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (रुपये में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)
1.	सुरक्षा गार्ड	गृह में आवासनियों की सुरक्षा	आवश्यकतानुसार	250000	16400	400
2.	स्वीपर	सफाई व्यवस्था	आवश्यकतानुसार	70000		
3.	रसोईयां	सुबह शाम का खाना बनाने हेतु	आवश्यकतानुसार	90000		
4.	अटेण्डेंट	आवासित आवासनियों की देखभाल सम्बन्धी कार्य हेतु	आवश्यकतानुसार	90000		
5.	आया	बच्चों की देखभाल, पालन–पोषण	आवश्यकतानुसार	70000		
6.	महिला काउन्सलर	आवासनियों की काउन्सलिंग से संबंधित कार्य	आवश्यकतानुसार	110000		
7.	मनोवैज्ञानिक (विजिट बेस)	आवासित आवासनियों मे से आवासित मांनसिक विमन्दित महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परिक्षण एवं समय पर दवा देना	आवश्यकतानुसार	70000		
8.	डॉक्टर (विजिट बेस)	आवासनियों का नियमित स्वास्थ्य परिक्षण	आवश्यकतानुसार	70000		
		कुल अनुमानित व्यय	–	820000	16400	400

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि 21.08.2023 समय दोपहर 12 बजे तक होगी। निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 21.08.2023 को सांय 5 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं में से निविदा दिनांक 22.08.2023 को दोपहर 12 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जावेगी।
2. बोलीदाता को निम्नाकिंत पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   - 01. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   - 02. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   - 03. वस्तु एवं सेवा कर के अंर्तगत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   - 04. आयकर पेन नम्बर।

Scanned with OKEN Scanner

05. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंर्तगत पंजीकरण प्रमाण पत्र।

06. सुरक्षाकर्मी हेतु राज्य अकादमी में पंजीकृत होना आवश्यक है। सुरक्षा गार्ड हेतु प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी एक्ट, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्युलेशन एक्ट, 2006 के तहत जारी लाईसेंस।

3. निविदा की अन्य शर्ते एवं कार्य आदि का विवरण किसी भी कार्यदिवस के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है।

4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा स्वीकृत निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

5. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र कमांक एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 की पूर्ण पालना की जायेगी।

6. यदि भविष्य में किसी प्रकार की अन्य शर्त जोडने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध मे समावेश किया जा सकेगा।

7. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी है। एक तकनीकी निविदा के लिफाफे में तकनीकी निविदा दस्तावेज के साथ धरोहर राशि, निविदा राशि का डीडी/बैंकर चैक तथा बिंदु संख्या 02 में अंकित प्रमाण पत्र व निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे में दर प्रस्तुत करने हेतु जी शिडयूल में सेवा प्रदाता का कमीशन रूपये में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

8. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।

9. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है या अपनी निविदा पुनः लेता है तो धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

10. वित्तिय निविदा हेतु निविदा के साथ संलग्न जी अनुसूची में अपनी दर सुस्पष्ट अंकित कर प्रस्तुत की जानी है। कांट छांट होने पर लघु हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।

11. निविदा के प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद कोई दस्तावेज स्वीकार नही किये जायेगें एवं सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(डॉ. शारदा देवी)
अधीक्षक
नारी निकेतन,सान्याअवि,बीकानेर

क्रमाकः– 621–26
दिनांकः– 3/8/23

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि निविदा तिथि से नियमानुसार प्रकाशन करवाने का श्रम करावें ।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(सा0सु0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राज0,जयपुर।
4. श्रीमान उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाईड पर प्रकाशित करने का श्रम करावे ।
6. श्रीमान अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को sppp पोर्टल पर अपलोड करवाकर कर NIB or UBN No. कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे।

(डॉ. शारदा देवी)
अधीक्षक
नारी निकेतन,सान्याअवि,बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय–अधीक्षक, नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

पता – महिला पुलिस थाने के पास, पवनपुरी, बीकानेर

0151–2240318

E Mail- nariniketanbkn@gmail.com

क्रमाक:–

दिनांक:–

खुली–निविदा पत्र

अधीक्षक

नारी निकेतन,सान्याअवि,बीकानेर

(लघु हस्ताक्षर अधिकारी)

नारी निकेतन, बीकानेर में रसोईया, स्वीपर, अटेण्डेण्ट, आया, महिला काउन्सलर, सुरक्षा गार्ड का कार्य जॉब बेसिस पर कार्य के लिये जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेन्सी से खुली निविदा निविदायें आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली सेवाप्रदाता एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता..............................
   ....
   ....
   ....
   दूरभाष:– ....मोबाइल:– ....
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....
3. निविदा शुल्क की नगद जमा राशि रू....................रसीद संख्या...................दिनांक.........................
4. धरोहर राशि हेतु अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट संख्या....................दिनांक..................राशि रू..............सलग्न है।
5. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन पत्र सं. ....
   दिनांक .... वैधता अवधि ....(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।)
6. आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (पैन)..
7. सर्विस टैक्स पंजियन प्रमाण पत्र संख्या...
8. पंजीयन कार्यालय का विवरण ....
9. पी.एफ.विभाग के रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
10. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
11. कार्यानुभव का विवरण :–
    (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अवधि
1.		
2.		
3.		
4.		

Scanned with OKEN Scanner

12. नारी निकेतन, बीकानेर में रसोईया, स्वीपर, अटेण्डेण्ट, आया, महिला काउन्सलर, सुरक्षा गार्ड का कार्य जॉब बेसिस पर एवं मनोवैज्ञानिक व डॉक्टर का कार्य विजिट बेस पर करवाने हेतु निविदा प्रपत्र में अंकित समस्त कार्य हेतु दरें निम्न प्रकार अंकित करते है :–

जॉब बेसिस पर कार्यो की दरः– (राशि रुपये में)

क्र सं	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की श्रेणी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF राशि	ESI राशि	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति)	कुल राशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा गार्ड	कुशल श्रमिक					
2	स्वीपर महिला	अकुशल श्रमिक					
3	अटेण्डेण्ट महिला	कुशल श्रमिक					
4	आया महिला	अकुशल श्रमिक					
5	काउन्सलर महिला	उच्च कुशल					
6	रसोईया महिला	कुशल श्रमिक					
7.	मनोवैज्ञानिक महिला	मनोवैज्ञानिक की योग्यता	500 प्रति विजिट	विभाग द्वारा निर्धारित 500/– प्रति विजिट अधिकतम 20 विजिट प्रतिमाह या विभाग से प्राप्त निर्धारित निर्देशों के आधार पर			
8.	डॉक्टर महिला	डॉक्टर की योग्यता	500 प्रति विजिट				

नोटः– 1. सेवाप्रदायकर्ता को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि निर्धारित दरों पर अतिरिक्त रूप से देय होगी।

13. जी.एफ.एण्ड ए.आर. एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं 2013 एवं वित्त विभाग के जारी के जारी दिशा–निर्देश के प्रभावी रहेगें।

14. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... जो कि अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के द्वारा ज़ारी की गई है, मे वर्णित समस्त शर्तो की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ मे दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांकः ....

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट''अ'

घोषणा पत्र

हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्त नही लगाई है यदि कहीं अकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ....दिनांक ....है, यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर जमानत राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
व पता

3.8.2023

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की सामान्य शर्तेः– (नारी निकेतन, बीकानेर)

1. निविदा ठीक प्रकार से बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती है उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिये। तकनिकी और वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाओं में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. तकनिकी निविदा के न्युनतम मापदंडों में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
3. निदेशालय द्वारा जारी संलग्न पत्रानुसार निर्धारित जॉब बेस/विजिटिंग बेस कार्य सम्पादित करने होगें ।
4. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों व आयु 60 वर्ष से अधिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनो मे अपेक्षित संख्या मे कर्मकार की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को होगा।
6. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को होगा।
7. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के पास सुरक्षित होगा।
8. संवेदक को निम्न अहर्ताएं पूर्ण करनी होगी–

   01. संवेदक का पिछले तीन वित्तिय वर्षो का औसत टर्नओवर 50 लाख रूपये होना चाहिए जिसकी सी.ए. से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

   02. संवेदक को निविदा में वर्णित सभी पदों की न्युनतम तीन वर्षो का अनुभव अवधि का सन्तोषजनक कार्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
9. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है साथ ही ई. एस. आई. व पी. एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। निविदादाता द्वारा यदि सर्विस टैक्स की मांग की जाती है तो उसका सर्विस टैक्स के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाणपत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. जॉब बेस कार्यो की शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये जॉब बेस कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
11. जॉब बेस कार्य के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. सेवाप्रदायकर्ता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का

निर्देश सेवा प्रदाय कर्त्ता को देता है तो सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।

13. सफल निविदादाता द्वारा जॉब कार्य व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्यावधि जॉब बेसिस कार्य की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगें।

14. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश मे वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवायें जाएगें। यदि किसी समय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर जॉबबेस कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

15. सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि मे दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति मे उसके **<u>परिणामों/दायित्वों</u>** के लिए सेवा प्रदाय कर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित मे जारी किये गये संशोधनो की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा, पालना नही करने की स्थिति मे अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को जॉबबेसिस कार्य को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह सेवाप्रदायकर्ता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। सेवाप्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकोर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मॉगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

17. निविदा अनुमोदन होने पर संबन्धित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियमानुसार निर्धारित राशि 500 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

18. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहे अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। सेवाप्रदायकर्ता जिस दिन व समय पर श्रमिको को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा। संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खातों में ही किया जायेगा। संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

19. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा कार्य बीच मे छोडने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति मे सेवाप्रदायकर्ता को स्वीकृत जॉब बेसिस कार्य को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को होगा।

Scanned with OKEN Scanner

20. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व ,क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। इसके लिए सरकार अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर जिम्मेदार नही होगा।
21. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का उतरदायित्व संवेदक का होगा।
22. यदि सेवाप्रदायकर्ता एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के प्रशासन का कोई दायित्व नही होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा व सेवाप्रदायकर्ता को मानना होगा।
23. निविदा दाता द्वारा कार्यालय में लगाये जाने वाले कार्मिक का पूरा बायोडेटा मय फोटो के इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।
24. इस कार्यालय द्वारा जारी की गई सूचना संख्या .... दिनांक.................... में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है एवं हमारे द्वारा भलीभांति पढा जाकर एवं सभी शर्तो को समझकर इन शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये है।
25. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही बीकानेर स्थित न्यायालय में ही होगी।
26. सेवाप्रदायकर्ता को निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस की अवधि में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा, जिसका समस्त व्यय अनुबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
27. सेवाप्रदायकर्ता संबंधित जॉब बेसिस कार्य के कर्मकारों को स्वयं के स्तर से प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय का विवरण स्लिप अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार उपलब्ध करायेगा।
28. कार्यालय/ट्रेजरी के द्वारा किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर, देरी पर भुगतान प्राप्त होने पर अनुबंधित फर्म किसी भी प्रकार का क्लेम अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर से नही करेगा तथा नियमित रुप से कर्मकारों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक आवश्यक रुप से भुगतान करना होगा।
29. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा सभी कर्मकारों को मानदेय का भुगतान करने के पश्चात 07 दिवस की अवधि में संबंधित प्रत्येक माह की राशि का पुनर्भरण हेतु बिल एवं जॉब कार्य का प्रमाणीकरण संबंधित जॉब कार्य के सुपरवाईजर, प्रभारी/नियंत्रक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
30. निविदा स्वीकृति/अनुमोदित आदेश के उपरान्त श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 की धारा की उप–धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत वांछित अनुज्ञप्ति/लाईसेन्स प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
31. प्रत्येक माह ई.एस.आई./ई.पी.एफ. का मासिक ई.सी.आर. सेवाप्रदायकर्ता अपने सुपरवाईजर के पास कर्मकारों की जानकारी हेतु उपलब्ध करायेगा। अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन,

Scanned with OKEN Scanner

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रत्येक माह लगानी होगी तथा अनुबंध समाप्त होने के एक माह में कुल ई.एस.आई./ई.पी.एफ. जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध करना होगा। अनुबंध पश्चात उक्त विवरण कर्मकारों को उपलब्ध कराने के बाद ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।

32. नियोक्ता का अंशदान अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर की ओर से जमा कराने के लिये राशि, सेवाप्रदायकर्ता द्वारा मांगी गई सकल राशि में शामिल मानी जावेगी।

33. कर्मकारों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय स्वयं के स्तर से देना होगा।

34. राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि में कर्मकारों के मानदेय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर फर्म द्वारा निविदा में निर्धारित कर्मकार के कुल मानदेय मे उक्त परिवर्तन जोडकर/घटाकर मानदेय लागू होने की दिनांक से कर्मकारों को परिवर्तित दरों के आधार पर सम्पूर्ण राशि एवं वैधानिक देयताओं का भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी तथा इसके लिये सेवाप्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि की मांग अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर से नही की जावेगी।

35. बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर सेवाप्रदायकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर सेवाप्रदायकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नही होगा। विलम्ब के लिये सेवाप्रदायकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

36. कर्मकारों की उपस्थिति (आने व जाने की) सेवाप्रदायकर्ता द्वारा संबंधित जॉब एवं विजिट बेसिस कार्य के प्रभारी/नियंत्रक के समक्ष करवाई जानी होगी। सेवाप्रदायकर्ता इसके समस्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेगा एवं अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

37. अनुमोदित सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित वर्दी में रहेगें। जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम/लोगो अंकित होगा एवं ड्यूटी के दौरान कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा जारी पहचान पत्र भी लगायेगा। सेवाप्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को वर्दी जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम अंकित होगा। ड्यूटी के दौरान पहनानी होगी। पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होगे। जिस पर होने वाला समस्त व्यय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई कर्मकार निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र का पाया जावेगा तो प्रतिदिन रुपये 100/– की दर से शास्ति अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा लगाई जा सकती है।

38. कर्मकारों द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थो का सेवन किये हुये पाये जाने पर, अनापेक्षित आचरण, आपराधिक एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी एवं कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपयुक्त कर्मकार से कार्य करवाना होगा।

39. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो व सेवाप्रदायकर्ता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

सेवाप्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय की इत्यादि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकोर्ड को तैयार करने एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

40. श्रम विधि नियम उपनियम, श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 की धारा उप–धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम 1971 की पालना करने एवं औधौगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों अनुसार श्रम नियोजित कर्मकारों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छटनी,मुआवजा आदि देने व इस बाबत् समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओ में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित सेवाप्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम,उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सेवाप्रदायकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं कार्मिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

41. यदि सेवाप्रदायकर्ता के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एड़वाकेट एवं जवाब पेश करने आदि में अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सेवाप्रदायकर्ता से वसूल किया जायेगा।

42. सर्विस चार्ज एक रूपया से कम मान्य नहीं होगा।

43. एक से अधिक निविदादाता की दरें समान आने पर अधिक विभागीय (सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकारिता विभाग) अनुभव अवधि वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी।

44. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा किसी भी कर्मकार से प्रतिदिन 08 घण्टे की अवधि एवं माह में 26 दिवस से अधिक सेवाये नही ली जावेगी।

45. संस्था में निर्धारित योग्यातानुसार कार्मिक उपलब्ध कराने व वाले कार्मिको की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सेवाप्रदायकर्त्ता की होगी। संस्था द्वारा निविदा संबंधी या कार्मिकों के प्रमाण पत्र व दस्तावेज मांगे जाने पर सेवाप्रदायकर्त्ता अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

46. संस्था में लगाये जाने से पूर्व कार्मिकों का पुलिस सत्यापन व संपूर्ण कोविड वैक्सिनेशन अनिवार्य रूप से करवाया जाना सेवाप्रदायकर्त्ता की जिम्मेदारी रहेगी व प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मांगे जाने पर संस्था में उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्त्ता की रहेगी।

47. न्यूनतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जावेगी आवश्यकता पडने पर नेगोसियेशन किया जावेगा ।

48. यदि सेवाप्रदायकर्ता द्वारा लगाये गये किसी कर्मकार या कर्मकारों के द्वारा अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर की राजकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस सम्पति की वास्तविक मूल्य की राशि से दुगनी की

Scanned with OKEN Scanner

वसूली सेवाप्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से करने का अधिकार अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को होगा।

49. किसी भी निविदा अनुबंध को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिकार अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर को होगा।

50. सेवाप्रदायकर्ता का सर्विस टैक्स के लिये पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। सेवाप्रदायकर्ता को भुगतान कोषालय से पारित बिल राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती कर शेष सम्पूर्ण राशि का ऑन लाईन भुगतान किया जावेगा।

51. सुरक्षाकर्मी गैर शस्त्रधारी होगा।

52. दरों में कर को अलग से दर्शाया जावें। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भुगतान नही किया जायेगा।

53. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक निविदा के साथ जमा कराना होगा । सफल निविदादाता को धरोहर राशि को अमानत राशि में सम्मिलित कर दिया जावेगा।

54. निविदा अनुमोदन होने पर सम्बन्धित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा 500/- रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य की वार्षिक राशि के भुगतान का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में बैंक ड्राफट/बैकर्स चैक/एफ डी कार्यालय के नाम बनवाकर प्लेज(गिरवी) कराकर कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी ।

55. (बयाना) प्रतिभूति राशि राजस्थान के लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और अमानत राशि आदेशित मूल्य की 1 प्रतिशत ली जावेगी। वे उन मामलों के स0बंध में जिनके लिये रजिस्टर्ड निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये उद्योग इकाइयों के पंजीयन की मूल प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगें ।

56. सेवाप्रदायकर्ता को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की ही होगी। सेवाप्रदायकर्ता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा।

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 55 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांकः .... **हस्ताक्षर निविदादाता**

Scanned with OKEN Scanner